COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

District & Addl. Sessions Judge-I-Cum-Special Judge Sc & St., Jamui.

A.B.P. No. 461/2026

Chandramandi P.S. case no. 203/2023

Sc.St. case no- 03/2024

Mukesh Yadav & others Vs. State of Bihar

21.05.2026 चन्द्रमंडी थाना काण्ड संख्या–203/2023, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 341, 323, 325, 307, 354(a), 504, 506 सभी सपठित धारा 3(5) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(w) एवं 3(2)(v) से संबंधित है, के अभियुक्तगण **1. मुकेश यादव उर्फ मुकेश कुमार यादव,** उम्र–31 वर्ष, पिता नरेश यादव, **2. महेश यादव,** उम्र लगभग 26 वर्ष, पिता फुलेश्वर यादव, **3. सोनू यादव उर्फ सोनू कुमार यादव,** उम्र लगभग 25 वर्ष, पिता नरेश यादव, **4. विजय यादव उर्फ विजय कुमार** उम्र लगभग 27 वर्ष, पिता–चंदन यादव, **5. संजय यादव उर्फ संजय कुमार यादव,** उम्र लगभग 22 वर्ष, पिता चंदन यादव सभी निवासी ग्राम चिहरा ठाडी, थाना चन्द्रमंडी, जिला जमुई की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

कांड के सूचक चनर तुरी पिता स्व0 मेहदी तुरी थानाध्यक्ष, थाना चन्द्रमंडी को दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 30.10.2023 दिन सोमवार सुबह 9 बजे उसका पूरा परिवार घर में था तभी बाहर से करीब दस लोग गाली गलौज करते हुए उसके घर में घुस आये और सभी के हाथों में लाठी, भाला, रड, छुरा था। फुलेश्वर यादव 2. नरेश यादव, 3. चंदन यादव, 4. संदीप यादव,5. महेश यादव, 6. रितेश यादव, 7. **मुकेश यादव, 8. सोनू यादव, 9. विजय यादव 10. संजय यादव** सभी सा0–चिहरा ठाड़ी थाना चन्द्रमंडी जिला–जमुई के निवासी है। **चनर तुरी को फुलेश्वर यादव ने रड से माथा में मारकर माथा फाड़ दिया एवं बाया पैर तोड़ दिया। जगदेव तुरी को नरेश, चंदन एवं मुकेश तीनों मिलकर माथा फाड़ दिया और हाथ तोड़ दिया। राम विलाश तुरी को महेश, सोनू, विजय ने टांगी से माथा में मारकर माथा फाड़ दिया और उसके जमीन पर गिरते ही लाठी रड से मारा। सुभाष तुरी को संजय ने ईट पत्थर से गर्दन पर मारा।** शोभा देवी को सबो ने जमीन पर घसीटते हुए घर से बाहर कर दिया और मारा भी। अनिता देवी को संदीप एवं महेश ने साड़ी खीच दिया, ब्लाउज फाड़ दिया और बाहर खीचकर ले जाने लगे तो जैसे–तैसे कर अभियुक्तों को रोका गया और लोगों के आने पर अभियुक्तगण भाग गये और भागते समय धमकी दिया कि एक घर डोम को कभी भी मार देगे और कहा कि केस करने जाओगे तो रास्ते में मारकर फेंक देंगे। बेहतर इलाज हेतु जमुई सदर अस्पताल से देवघर सदर

अस्पताल भेज दिया गया, जहां ईलाज चल रहा है।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण को इस मामले में भूमि विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि पुलिस ने आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित नहीं किया था किंतु विद्वान न्यायालय ने कांड दैनिकी में कथि रूप से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस मामले में आवेदक अभियुक्तों के विरूद्ध भी संज्ञान लिया है। आवेदक अभियुक्तगण को जमीन विवाद के कारण झूठे जमीनी विवाद में फंसाया गया है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधार पर आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उनका कथन है कि लगा **आरोप गम्भीर है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये अग्रिम जमानत आवेदन विधितः पोषणीय नहीं है।** इस न्यायालय ने कांड दैनिकी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचारण निवारण अधिनियम की धारा 1989 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।

मैंने अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी में सूचक संहित अन्य साक्षियों ने प्राथमिकी का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पैरा 35 में जख्मी जगदेव तुरी, चंदु तुरी, राम विलास तुरी, शोभा तुरी एवं सुभाष तुरी का जख्म निम्न हैः–

जगदेव तुरी का जख्म का जख्म प्रतिवेदन निम्न है–

i. X-ray Rt. - fracture seen in the distal phalanx of ring finger bones.

ii. X-ray Rt. -Fore arm fracture seen in the shaft of radius and ulna.

iii. X-ray of Rt. foot- Normal x-ray of Rt. foot.

Nature of injury- i & ii are grievous in nature and iii. simple in nature.

चंदु तुरी का जख्म का जख्म प्रतिवेदन निम्न है–

i. Complain of pain on Head, shoulder, back, upper arm and leg.

ii. X-ray Skull- Normal x-ray of Skull.

iii. X-ray L.S Spine- Normal x-ray of L.S. Spine.

iv. X-ray Rt. Shoulder – Normal x-ray of Rt. shoulder point.

v. X-ray Rt. arm- Normal x-ray of Lt. Arm.

vi. X-ray Rt. foot- Normal x-ray of Lt. foot.

Nature of injury- i, ii, iii, iv, or v, are simpal in nature.

राम विलास तुरी का जख्म का जख्म प्रतिवेदन निम्न है–

i. Generalized body pain.

ii. Head pain (Stitch wound 1/2" x 1/2" Muscle deep)

Nature of injury- i. Simpal in nature.

शोभा तुरी का जख्म का जख्म प्रतिवेदन निम्न है–

i. Generalized pain in body.

ii. Left foot pain.

Nature of injury- i. Simpal in nature.

सुभाष तुरी का जख्म का जख्म प्रतिवेदन निम्न है–

i. Head pain.

Nature of injury- i. Simpal in nature.

मैं विद्वान अपर लोक अभियोजनक के इस कथन से सहमत हूँ कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के अभियोग के लिए अग्रिम जमानत आवेदन विधितः पोषणीय नहीं है। अतः यह अग्रिम जमानत

अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह
सह विशेष न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः–विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायालय, जमुई।

Web Copy